

की कोई संभावना है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी घौरा क्या है और इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

उच्चोग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) विहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार विहार इण्डस्ट्रियल एंड टेक्निकल कल कल्सल्टेंसी आर्गेनाइजेशन (बी० आई० टी० सी० बो०) को विहार के 8 जिलों अर्थात् सीमामढ़ी, सिघभूम, पलामू, राँची, पूर्णिया, बैशाली, गोपालगंज और पूर्वी चम्पारन का औद्योगिक सर्वेक्षण करने का कार्य सौंपा गया था। बी० आई० टी० सी० बो० द्वारा पूर्वी चम्पारन की रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की जानी है। यद्यपि, परिचमी चम्पारन के औद्योगिक सर्वेक्षण का कार्य मे० सोनी कल्सल्टेंसी को सौंपा गया था जिसे अभी अपनी रिपोर्ट विहार सरकार को प्रस्तुत करनी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Setting up of a Coordination Committee on Khadi

5142. SHRI LAKSHMAN MALLICK: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have recently decided to set up a Co-ordination Committee to further develop co-operative and co-ordination with the agencies dealing with Khadi, handloom and handicrafts and silk sectors ; and

(b) if so, the details regarding its composition and functions ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI PATTABHI RAMA RAO) : (a) Yes, Sir.

(b) A Committee under the Chairmanship of Chairman, Khadi & Village Industries Commission comprising Development Commissioner (Handlooms), Development Commissioner (Handicrafts), representatives of Central Silk Board, National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), National Cooperative Develop-

ment Corporation (NCDC) and the Department of Industrial Development is being constituted. The objective of the Committee would be to bring better coordination and rapport among the various agencies in the decentralised sector dealing with Khadi, Handlooms and Handicrafts.

राजभाषा अधिनियम, 1963 का क्रियान्वयन

5143. श्री रामावतार शास्त्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) में उल्लिखित 14 मंदों को देश के क, ख और ग क्षेत्रों में द्विभाषिक रूप में क्रियान्वित करने का प्रावधान है;

(ख) यदि हाँ, तो परमाणु ऊर्जा विभाग क, ख, और ग क्षेत्रों में स्थित इसके कार्यालयों में वर्ष 1981-82, 1982-83, और 1983-84 में धारा 3(3) का राज्यवार और वर्षवार अलग-अलग कितने प्रतिशत क्रियान्वयन किया गया है;

(ग) तीनों क्षेत्रों के राज्यों में उक्त सभी चौदह मंदों का शत प्रतिशत क्रियान्वयन द्विभाषिक रूप में किये जाने में क्या कठिनाई है; और

(घ) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज बी० पाटिल) : (क) जी, हाँ।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) जिन यूनिटों में शत-प्रतिशत कार्यान्वयन नहीं हो सका है उनमें से अधिकांश वैज्ञानिक तथा तकनीकी स्वरूप का काम कर रहे हैं। राजभाषा कार्यान्वयन समितियों से, जिनका गठन सभी यूनिटों में किया जा रहा है ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक यूनिट

द्वारा किए गए राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाए और कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रभावी उपाय सुझाए जाएं।

राजभाषा नीति का संतोषजनक कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रथास किया जाएगा।

विवरण

क्षेत्र तथा कार्यालय/यूनिट का नाम घारा 3(3) में उल्लिखित कागज पत्रों से कितने प्रतिशत द्विभाषिक रूप में जारी किए गए

वर्ष 1981-82	वर्ष 1982-83	वर्ष 1983-84
--------------	--------------	--------------

(31-12-1983 तक)			
“क” क्षेत्र स्थित कार्यालय			
राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना	88%	81%	100%
भारी पानी परियोजना, कोटा	81%	91%	92%
यूरोनियम कारपोरेशन आफ इंडिया			
लिमिटेड	62%	86%	56%
नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना	51%	61%	80%
“ख” क्षेत्र स्थित कार्यालय			
परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिवालय, बम्बई	99%	98%	99%
भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र	18%	20%	16%
सम्पदा प्रबंध निदेशालय	शून्य	शून्य	शून्य
भारी पानी परियोजनाएँ, बम्बई	100%	55%	89%
भारी पानी परियोजना, बड़ोदा	1.3%	1.3%	शून्य
विद्युत परियोजना अभियांत्रिकी प्रभाग	56%	26%	100%
तारापुर परमाणु बिजलीघर	81%	100%	100%
क्य और भंडार निदेशालय	1%	0.5%	0.4%
इंडियन रेलवे अधसं लिमिटेड	3.4%	6%	8%
निर्माण और सेवा वर्ग	शून्य	शून्य	शून्य
“ग” क्षेत्र स्थित कार्यालय			
नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र	21%	19%	19%
परमाणु खनिज प्रभाग	26%	36%	20%
भारी पानी परियोजना, तलचर	शून्य	शून्य	शून्य
मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना	शून्य	शून्य	शून्य
रिएक्टर अनुसंधान केन्द्र, कलपाकम	शून्य	शून्य	शून्य
भारी पानी परियोजना, तूतीकोरिन	शून्य	शून्य	शून्य
इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया			
लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य